कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–56/2022–342 दिनांक : 17/05/23

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/ वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/जमशेदपुर वन प्रमण्डल।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण, सीसल वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष), नेचर पार्क–2, गोविन्दपुर पार्क एवं खड़ंगाझाड़ पार्क के विकास कार्य हेतु कुल **रू0 1109.454 लाख (ग्यारह करोड़ नौ लाख पैंतालीस हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–35/2022–36/स्वी0 व0प0 दिनांक 23.03.2023 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–35/2022–02/आ0 व0प0 दिनांक 28.04.2023 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 1109.454 लाख (ग्यारह करोड़ नौ लाख पैंतालीस हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	733.397
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	376.057
कुल :–		**1109.454**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से (घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं

वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110158010103 एवं 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे,

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

9. योजना के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को प्रत्येक तीन माह पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवगत करायेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

15. विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा की जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विविधत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉक पंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था की जायेगी :–

(i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2022–23 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाहय मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।

(iii) विभागीय स्थापित Monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor भारत सरकार के पैट्रन पर योजना Monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

18. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

20. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत** मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगें। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

23. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

25. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

17/5/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–56/2022**–342 दिनांक–17/05/23

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी पतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ राँची/हजारीबाग/ बोकारो/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/राँची/गुमला/ हजारीबाग/

चतरा/ बोकारो/ गिरिडीह/दुमका/ गुमला/जमशेदपुर/दुमका एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय–वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–56/2022**–342 दिनांक– 17/05/23

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ खूँटी/ लोहरदगा/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ गिरिडीह/ गोड्डा/ साहेबगंज/ देवघर/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

E:\ANIL\2023-24\Allotment\OA\Soil Conservartion & Afforestation\S.O. 36 dt 23.03.2023 (8)\2nd yr + Parks-2.doc

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			24622.07	1725.00	26347.07
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
2	खूँटी वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
4	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
6	बोकारो वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
7	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
8	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
9	गोड्डा वन प्रमण्डल	50	12.311	0.863	13.174
10	साहेबगंज वन प्रमण्डल	150	36.933	2.587	39.520
11	सा0वा0 प्रमण्डल, सिमडेगा	100	24.622	1.725	26.347
12	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	50	12.311	0.863	13.174
13	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	100	24.622	1.725	26.347
योग :–		**1250**	**307.775**	**21.563**	**329.338**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

E:\ANIL\2023-24\Allotment\OA\Soil Conservartion & Afforestation\S.O. 36 dt 23.03.2023 (8)\2nd yr + Parks-2

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोरण (1600 पौधा प्रति हे0) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			131369.62	**2815.00**	**134184.62**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची	53	69.626	1.492	71.118
योग :–		**53**	**69.626**	**1.492**	**71.118**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण (6150 पौधा प्रति हे0) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			123525.57	**4283.00**	**127808.57**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	100	123.526	4.282	127.808
योग :–		**100**	**123.526**	**4.282**	**127.808**
सकल योग :–		**1403**	**500.927**	**27.337**	**528.264**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नेचर पार्क–2, गोविन्दपुर पार्क एवं खड़ंगाझाड़ पार्क के विकास कार्यों का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मज़दूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
	वित्तीय वर्ष 2023–24				
1	नेचर पार्क–2				
D	पेयजल सुविधा	2.084	0.834	1.250	2.084
E	पेवर ब्लॉक का निर्माण (स्मृति वन)	28.730	11.492	17.238	28.730
F	पेवर ब्लॉक का निर्माण चाहरदिवारी के पास	18.415	7.366	11.049	18.415
G	हाई मास्ट लाईट की स्थापना	1.745	0.698	1.047	1.745
H	हाई मास्ट लाईट का बिजली का कार्य	39.132	15.653	23.479	39.132
I	बेंच का संरचना	1.790	0.716	1.074	1.790
J	गजिबो का संरचना	36.587	14.635	21.952	36.587
K	चाहरदिवारी का संरचना	14.140	5.652	8.488	14.140
	योग :–	**142.623**	**57.045**	**85.578**	**142.623**
2	गोविन्दपुर पार्क				
D	पेयजल सुविधा	2.084	0.834	1.250	2.084
E	हाई मास्ट लाईट की स्थापना	1.745	0.698	1.047	1.745
F	हाई मास्ट लाईट का बिजली का कार्य	39.132	15.653	23.479	39.132
G	बेंच का संरचना	1.790	0.716	1.074	1.790
H	गजिबो का संरचना	36.592	14.635	21.957	36.592
	योग :–	**81.343**	**32.535**	**48.808**	**81.343**
3	खड़ंगाझाड़ पार्क				
D	पेयजल सुविधा	2.084	0.834	1.250	2.084
E	हाई मास्ट लाईट की स्थापना	1.745	0.698	1.047	1.745
F	हाई मास्ट लाईट का बिजली का कार्य	39.132	15.653	23.479	39.132
G	बेंच का संरचना	1.790	0.716	1.074	1.790
H	गजिबो का संरचना	36.587	14.635	21.952	36.587
I	पेवर ब्लॉक का संरचना	46.036	18.414	27.622	46.036
J	चाहरदिवारी का संरचना (पार्ट–1)	45.970	18.388	27.582	45.970
K	चाहरदिवारी का संरचना (पार्ट–2)	45.970	18.388	27.582	45.970
L	चाहरदिवारी का संरचना (पार्ट–3)	45.970	18.388	27.582	45.970
M	चाहरदिवारी का संरचना (पार्ट–4)	45.970	18.388	27.582	45.970

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
N	चाहरदिवारी का संरचना (पार्ट–5)	45.970	18.388	27.582	45.970
योग :–		**357.224**	**142.890**	**214.334**	**357.224**
योग (वित्तीय वर्ष 2023–24) :–		**581.190**	**232.470**	**348.720**	**581.190**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	13	4498.13	0.00	4498.13	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	7612.22		7612.22	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	8650.25	0.00	8650.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	692.02	0.00	692.02	
5	पौधों की सुरक्षा		9.16	3169.45		3169.45	30 हे0 तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे0 से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :—		**71.16**	**24622.07**	**1725.00**	**26347.07**	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागु दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएग इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

13/5/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

न्यूनतम मजदूरी : रू 346.01 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी – 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या – 1600 प्रति हेक्टेयर

(प्रजाति – हर्रे, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, सीधा आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर				योग
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	शोध पौधशाला से वनरोपण स्थल तक पौधों की ढुलाई।	1 हे0	30	10380.30	0.00	10380.30
2	वृक्षारोपण।	1 हे0	292	101034.92	0.00	101034.92
3	दो कोड़नी–निकौनी,	1 हे0	41.5	14359.42	0.00	14359.42
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	1 हे0	2	692.02	0.00	692.02
5	पौधों की सुरक्षा – 30 हे0 तक।		9.17	3172.91	0.00	3172.91
6	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।	1 हे0		0.00	2365.00	2365.00
7	पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	1 हे0	5	1730.05	300.00	2030.05
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	1 हे0	0	0.00	150.00	150.00
	योग :–		**379.67**	**131369.62**	**2815.00**	**134184.62**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : सीसल वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 6150 पौधे **मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस**

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे0	मजदूरी रू0 में	सामग्री रू0 में	कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1.	पौधशाला कार्य (आंशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हे0	57	19722.57	0.00	19722.57	
2.	वृक्षारोपण	हे0	145	50171.45	0.00	50171.45	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	145	50171.45	0.00	50171.45	
4	सुरक्षा कार्य	हे0	8	2768.08	0.00	2768.08	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	हे0	0	0.00	4133.00	4133.00	
6	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	2	692.02	0.00	692.02	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**357**	**123525.57**	**4283.00**	**127808.57**	

नोट (1) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण

(2) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित गाम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(3) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा

(4) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2023-24 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342

दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25367	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25368	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25370	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ

योग: रुपये तीहत्तर लाख छियासी हजार छः सौ 7,386,600.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25371	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
5	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25372	HZBFWL005 SHABA ALAM ANSARI D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
6	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25373	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ

योग: रुपये एक करोड सैतालीस लाख तीहत्तर हजार दो सौ 7,386,600.00

क्रमिक योग: 14,773,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25374	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25375	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25376	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	1,231,100.00 रुपये बारह लाख इकतीस हजार एक सौ

योग: रुपये दो करोड नौ लाख अठाइस हजार सात सौ 6,155,500.00

क्रमिक योग: 20,928,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 17/5/2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25377	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	3,693,300.00 रुपये छत्तीस लाख तिरनावे हजार तीन सौ
11	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25378	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
12	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25379	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	1,231,100.00 रुपये बारह लाख इकतीस हजार एक सौ

योग: रुपये दो करोड तिरयासी लाख पंद्रह हजार तीन सौ 7,386,600.00

क्रमिक योग: 28,315,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25382	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
14	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25384	DRNFWL020 SMITHA PANKAJ CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 03 - मजदूरी	6,962,600.00 रुपये उनहत्तर लाख बासठ हजार छः सौ
15	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25385	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	12,352,600.00 रुपये एक करोड तेइस लाख बावन हजार छः सौ

योग: 21,777,400.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड बयानवे हजार सात सौ 50,092,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 117.203.176.110 Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25386	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	23,247,000.00 रुपये दो करोड बत्तीस लाख सैतालीस हजार
17	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25474	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ
18	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25475	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ

योग: रुपये सात करोड छत्तीस लाख चौरासी हजार सात सौ 23,592,000.00

क्रमिक योग: 73,684,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25476	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ
20	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25477	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ
21	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25478	HZBFWL005 SHABA ALAM ANSARI D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ

योग: 517,500.00

रुपये सात करोड बयालीस लाख दो हजार दो सौ

क्रमिक योग: 74,202,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25479	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ
23	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25480	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ
24	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25481	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ

योग: रुपये सात करोड सैतालीस लाख उन्नीस हजार सात सौ 517,500.00

क्रमिक योग: 74,719,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND

 117.255.176.110 RANCHI Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25482	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	86,300.00 रुपये छियासी हजार तीन सौ
26	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25483	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	258,700.00 रुपये दो लाख अठावन हजार सात सौ
27	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25484	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ

योग: रुपये सात करोड बावन लाख सैंतीस हजार दो सौ 517,500.00

क्रमिक योग: 75,237,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 117.233.176.110 Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25485	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	86,300.00 रुपये छियासी हजार तीन सौ
29	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25486	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ
30	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25487	DRNFWL020 SMITHA PANKAJ CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	149,200.00 रुपये एक लाख उनचास हजार दो सौ.

योग: 408,000.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड छप्पन लाख पैंतालीस हजार दो सौ 75,645,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 117.203.176.116 Run Date: 17/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-56/2022_A/342 दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25488	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	428,200.00 रुपये चार लाख अठाइस हजार दो सौ
32	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	25489	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	34,872,000.00 रुपये तीन करोड अडतालीस लाख बहत्तर हजार

योग: रुपये ग्यारह करोड नौ लाख पैंतालीस हजार चार सौ 35,300,200.00

क्रमिक योग: 110,945,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 17/5/2023